

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 44/2018 राजस्व अपील

1. राधामोहन पुत्र हरगोविन्द गुर्जर जाति गुर्जर निवासी ग्राम गावडी तहसील सिकराय
उप तहसील सिकन्दरा जिला दौसा अपीलान्ट
बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार उप तहसील सिकन्दरा जिला दौसा
रेस्पोंडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय उप तहसीलदार सिकन्दरा दिनांक 08.09.2015

उनवानी प्रकरण सरकार बनाम राधामोहन मु.न. 19/2015

अन्तर्गत धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम

उपस्थिति : श्री विश्राम गुर्जर अधिवक्ता अपीलान्ट उप0।

: श्री चन्द्रशेखर टापरिया राजकीय अधिवक्ता उप0।

—: निर्णय :—

दिनांक: 13.06.2018



संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से हैं कि उक्त प्रकरण की पूर्व में एक अपील श्रीमान न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय दौसा में प्रस्तुत की गई थी जिस पर श्रीमान न्यायालय द्वारा अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार फरमाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 18.02.2015 का निर्णय स्थगित किया गया था। परन्तु पटवारी हल्का मरियाडा द्वारा अपीलान्ट के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय में एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि अपीलान्ट ने ग्राम गावडी तहसील सिकराय में स्थित भूमि खसरा नम्बर 88 रकबा 0.75 है0 किस्म चरागाह पर संवत् 2072 में गेहूं, चना की काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है तथा पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट अतिक्रमी के विरुद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल किये जाने एवं 50 गुणा शास्ति कायम करने के साथ ही 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से भी दिनांक 01.01.2018 को दण्डित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 01.01.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अति० जिला कलक्टर

के

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोजेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्त ने अपील के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नगत निर्णय विधि विरुद्ध एवं तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलान्त ने सरकारी भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्त को कोई सुनवाई व सबूत का मौका नहीं दिया ना ही पटवारी हल्का ने अपीलान्त के समक्ष भूमि का मौका देखा ना मौका रिपोर्ट बनाई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का की झूठी व बेबुनियाद रिपोर्ट को सही मानकर अपीलान्त को प्रश्नगत आराजी भूमि पर अतिक्रमी मानते हुए दिनांक 01.01.2018 को निर्णय पारित कर दिया। अधिवक्ता अपीलान्त द्वारा निवेदन किया गया की अपीलान्त का प्रश्नगत चरागाह भूमि पर अतिक्रमण नहीं है तथा भविष्य में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं करने बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया जावेगा। अतः अपील स्वीकार फरमाई जावे।

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलान्त अतिक्रमी द्वारा संवत 2071 में ग्राम गावडी तहसील सिकराय में स्थित राजकीय चारागाह भूमि खसरा नंबर 20/2 रकबा 02 बीघा पर खरीफ फसल की काश्त कर अतिक्रमण करने पर अपीलान्त अतिक्रमी के विरुद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर दिनांक 18.02.2015 को अपीलान्त अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल करने एवं 50 गुणा शास्ति कायम करने के साथ ही 60 दिन का सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलान्त अतिक्रमी द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा के समक्ष एक अपील पेश की गई थी जिस पर न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 59/2015 राजस्व अपील में निर्णय दिनांक 18.05.2015 पारित कर अपीलान्त को राजकीय भूमि पर से अतिक्रमण हटाने व भविष्य में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं करने बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत करने के आदेश पारित किये थे, परन्तु अपीलान्त द्वारा उक्त आदेश की पालना न करने पर पुनः अपीलान्त को अतिक्रमी मानते हुए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राम गावडी तहसील सिकराय में स्थित भूमि खसरा नम्बर 88 रकबा 0.75 है० किस्म चरागाह पर संवत 2074 में गेहूं चना की काश्त कर अतिक्रमण करने पर अपीलान्त अतिक्रमी के विरुद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर निर्णय दिनांक 01.01.2018 के द्वारा अपीलान्त अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल करने एवं 50 गुणा शास्ति कायम करने के साथ ही 30 दिन का सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है।



प्रकरण संख्या : 44 / 2018 राजस्व अपील

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्राप्त अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त के विरुद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर उक्त प्रश्नगत निर्णय पारित किया गया है, किन्तु अधिवक्ता अपीलान्त द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया की अपीलान्त का प्रश्नगत चरागाह भूमि पर अतिक्रमण नहीं है तथा भविष्य में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं करने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया जावेगा। अतः अपील अपीलान्त आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त इस शर्त पर आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है कि अपीलान्त द्वारा ग्राम गावडी तहसील सिकराय मे स्थित भूमि खसरा नम्बर 88 रकबा 0.75 है० किस्म चरागाह पर से अतिक्रमण हटा लिया जाने एवं भविष्य में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं करने बाबत् शपथ पत्र उप तहसीलदार सिकन्दरा के समक्ष प्रस्तुत करने एवं उप तहसीलदार सिकन्दरा द्वारा अतिक्रमण हटा लिया जाना सत्यापित किया जाने पर, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 01.01.2018 में से सिविल कारावास की सजा स्थगित की जाकर शेष आदेश यथावत रखा जाता है। अन्यथा सिविल कारावास सहित अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत प्रभावी रहेगा। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ट लेख भण्डार हो।



(राजवीर सिंह चौधरी)
अति० जिला कलेक्टर

अति० जिला कलेक्टर, दौसा



निर्णय आज दिनांक 13.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)

अति० जिला कलेक्टर, दौसा